

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)  
उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा



जस्व वाद संख्या :- 241/2024 आर.ए.एस.

- 1- सोमा देवी पत्नी स्व0 खेतपाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- पूनम पुत्री स्व0 खेतपाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- राजू पुत्र स्व0 खेतपाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4- प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 खेतपाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

- 1- लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- ताराचन्द पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नंबर 4, गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबंधक।
- 5- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा  
डिक्री

दिनांक :- 08/09/2025

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद डिक्री किया जाता है कि वादीगण को तहसील पीलीबंगा के चक 2 एचडीपी के खाता सं. 132/106 के प.नं. 21/258 (38) किला नं. 22/0.008, 23/0.240, 24/0.240, 25/1/0.217, 25/1/0.25 की 0.730 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता के बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं.1 के तहसील पीलीबंगा के चक 2 एचडीपी के खाता सं. 132/106 के प.नं. 20/259 (40) किला नं. 6/1/0.013 की 0.013 है0, प.नं. 21/258 (38) किला नं. 19/2/0.044, 20/0.253,

3

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

0.253, 22/0.245, 23/0.013, 24/0.013, 25/1/0.011 की कुल 0.832 है0 इस  
र कुल 0.845 है0 नहरी का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर,  
न विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई  
स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार  
मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार  
राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की  
किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी  
प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/09/2025 को  
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमम मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा  
पीलीबंगा

